न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), कानपुर–देहात।

UPRN010031262026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–263/2026

मालती देवी बनाम रामकुमार आदि

दिनांक–22.07.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व में प्रार्थिनी/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी/आवेदिका मालती देवी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण रामकुमार आदि व चार अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी के साथ दिनांक 18.03.2026 को गांव के ही रामकुमार ने घर में घुसकर छेड़छाड़ व अभद्रता की थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–72/2026 धारा–74,75,333,331 बी०एन०एस० थाना मंगलपुर में दर्ज करायी थी। अभियुक्त रामकुमार प्रार्थिनी से लगातार समझौते तथा मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। प्रार्थिनी ने समझौता नही किया तो दिनांक 25.04.2026 को समय करीब 11:00 बजे रात्रि उक्त रामकुमार तथा दो व्यक्ति अज्ञात छत के रास्ते से प्रार्थिनी के घर के अन्दर घुस आये प्रार्थिनी घर में अकेली सो रही थी। प्रार्थिनी के गले में उक्त लोगो ने चाकू लगा दिया तथा बारी–बारी से बलात्कार किया और कहा कि शोर मचाया तो चाकू से गला काट देंगे। प्रार्थिनी के कान की झुमकी व अंगूठी लूट ली चीख सुनकर घर व मोहल्ले के लोग आ गये तब जाते जाते यह धमकी दी कि यदि समझौता नही किया तो इसी तरह बलात्कार करेंगे तथा जान से मार देंगे। प्रार्थिनी ने थाने में शिकायत की परन्तु कोई कार्यवाही नही हुयी। प्रार्थिनी ने दिनांक 08.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना प्रेषित किया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही हुयी। प्रार्थिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिनी द्वारा एक किता प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय, कानपुर देहात व आधारकार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदिका द्वारा थाना स्थानीय पर पूर्व में मु०अ०सं०-72/2026 धारा-74/75/333/331 बी.एन.एस. के तहत दर्ज किया गया था जिसमें कार्यवाही करते हुए विपक्षी की भांजी के पक्ष में पुलिस द्वारा आरोप पत्र सं०-118/2026 दिनांक 03.06.2026 को क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जा चुका है। जिस बात को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराना चाहते हैं एवं न्यायालय के आदेश से अंतर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. के तहत आवेदिका के पति जनवेद यादव पुत्र राम औतार यादव के विरुद्ध थाना मंगलपुर में मु०अ०सं०-168/2026 धारा-333/352/351(2),351(3)/115(2)बी.एन.एस. व 3(2)(va) Sc/St Act पंजीकृत किया गया है। जिस कारण आवेदिका द्वारा भी मुकदमा लिखवाना चाहती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ.प्र.राज्य,2001(43) ए.सी.सी., इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.2005(2) जे.आई.सी. 686 इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य 2009(3) जे.आई.सी.779, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य 2008(1) ए.सी.आर. 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2005(1) ए.सी.आर.155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य 2001(42) ए.सी.सी.459(सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानन्द हरी साक्षी व अन्य 2001(सप्लीमेंट्री) ए.सी.सी.957(सुप्रीम कोर्ट)** में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 15.09.2026 को पेश हो। तदनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० निस्तारित किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर–देहात।

दिनांक–22.07.2026

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.07.22 17:14:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court